कार्यालय नगर निगम, जोधपुर उत्तर

क्रमांक :– 816

दिनांक :– 01.05.2025

संसोधन आदेश

नगर निगम जोधपुर उत्तर द्वारा जारी निविदा सं–620 दिनांक–25.04.2025 (DLB2525SSOB02861) सनदी लेखाकार(Chartered Accountant) सेवा लिए जाने हेतु की "संवेदक की पात्रता" में निम्नानुसार संसोधित किया जाता हैं:–

- बिन्दु सं–6. "फर्म के पास अनुभवी सीए होना चाहिए जिसको इस प्रकार के सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन का अनुभव होना चाहिए। (आईसीएआई मेंबर कार्ड की प्रति संलग्न करे)"
- बिंदु सं–8 एवं 9 को विलोपित किया जाता है।

निविदा प्राप्त करने की अंतिम दिनांक–06.05.2025 की जाती है।
निविदा की शेष शर्ते यथावत् है।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर उत्तर

क्रमांक :– 817– 819

दिनांक :– 01.05.2025

प्रतिलिपि :–

1. उपायुक्त नगर निगम, जोधपुर उत्तर ।
2. सहायक लेखाधिकारी II, नगर निगम जोधपुर उत्तर।
3. वित्तीय सलाहकार, नगरनिगम जोधपुर उत्तर।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर उत्तर

Signature valid
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Designation : Commissioner
Date: 2025.05.01 14:28:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15034655

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगरनिगम, जोधपुर (उत्तर)

क्रमांक : 620 दिनांक :– 25/4/25

निविदा सूचना

नगर निगम जोधपुर उत्तर की ओर से निम्नांकित कार्य/आपूर्ति करने हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र में निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता अपनी सीलबन्द निविदाए अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रत्येक मद के आगे अंकित दिनांक को सांय 03.00 बजे तक प्रेषित कर सकते है। प्राप्त निविदाएं उसी दिन सायंकाल 04.00 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जाएगी।

कंसं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रूपये में)	अमानत राशि (रूपये में)	निविदा शुल्क (रूपये में)	कार्य की अवधि	निविदा प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक
1.	सनदी लेखाकार (Chartered Accountant) सेवा लिये जाने हेतू	8.60 लाख	17200/–	500/–	(वित्तीय वर्ष 2025–26)	01.05.2025

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर (उत्तर)

क्रमांक :– 621 to 626 दिनांक :– 25/4/25

प्रतिलिपि :–

1. राजस्थान संवाद,जयपुर को भेजकर लेख है कि निविदा एक क्षेत्रिय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम साइज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने का श्रम करावे।
2. उपायुक्त नगर निगम जोधपुर उत्तर ।
3. मुख्य लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी नगर निगम जोधपुर उत्तर।
4. कार्यालय अधीक्षक नगर निगम जोधपुर उत्तर।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को निगम की website www.lsg.rajasthan.gov.in/mcjn पर अपलोड करने हेतु।
7. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर (उत्तर)

Signature valid
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Designation : Commissioner
Date: 2025.04.24 18:23:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14807223

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर उत्तर

(निम्नलिखित विवरण निविदादाता द्वारा आवश्यक रूप से भरा जावे)

1. निविदा कार्य का नाम :—नगर निगम जोधपुर उतर कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2025—26 का टेली इम्पीलमेन्ट और लेखाप्रणाली से सम्बन्धित कार्य का संचालन, बैक रिकसिलेशन संबंधी कार्य रिटर्न माल एंव सेवा कर पुराना सेवाकर, वैट, व अन्य आयकर संबंधी कार्य हेतु CA नियुक्त करने बाबत्।
2. निविदादाता फर्म का नामः—...
3. कार्यालय का पताः— ....
....
4. मोबाइल नः—...
5. ई—मेल एड्रेसः—...
6. जी.एस.टी. पंजीयन नः—...

Signature valid

Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Designation : Commissioner
Date: 2025.04.24 08:23:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14807223

Scanned with OKEN Scanner

कार्य विवरणः–

नगर निगम जोधपुर उत्तर में सॉफ्टवेयर के इम्प्लीमेंटेशन का कार्य तथा नगर निगम जोधपुर उत्तर की आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करना और कस्टमाइज रिपोर्ट तैयार करना, वित्तीय वर्ष 2025-26 का NMAM कोडिंग अनुसार बजट रिपोर्ट तैयार करना, सॉफ्टवेयर से कैशबुक और बैंक बुक हिन्दी भाषा में तैयार करना व अन्य कार्य

निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं :–

1. निविदा वित्तिय वर्ष 2025–26 हेतु मान्य रहेगी।
2. इस निविदा को निगम website www.lsg.rajasthan.gov.in/mcjn, www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
3. निविदा खोलने की दिनांक को राजकीय अवकाश होने/किसी कारणवश यदि निविदायें नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
4. दर्शायी गयी अनुमानित लागत से कम या अधिक क्रय करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगी।
5. निविदा संबंधित कार्य में निर्धारित व्यवहार करने वाली फर्म ही प्रस्तुत करे जिसका घोषणा पत्र देना होगा।
6. निविदादाता द्वारा निविदा नगर निगम जोधपुर उत्तर कार्यालय के कमरा न0 –4 कय शाखा में निर्धारित समय से पूर्व जमा करवाना आवश्यक हैं।
7. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क एवं अमानत राशि निम्न तालिकानुसार ऑनलाईन भुगतान कर भुगतान की जमा रसीद की प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कम	शुल्क का प्रकार	राशि	खाता संख्या/बजट मद जिसमें भुगतान किया जाना है।
1	निविदा शुल्क (Tender Fee)	500/–	CANARA BANK ACCOUNT NO- 84012010036971 IFS CODE- CNRB0018401
2	अमानत राशि (Earnest money)	17200/–	CANARA BANK ACCOUNT NO- 84012010036971 IFS CODE- CNRB0018401

8. निविदादाता निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करेंगे जिस पर निविदा सूचना कमांक, निविदादाता का नाम,पता एवं मोबाइल नं. अंकित होने आवश्यक हैं।
9. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने आवश्यक है।
10. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Vaild) रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता हैं अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरो[illegible]
11. यदि संवेदक के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत[illegible] कार्य से संबंधित अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहाय[illegible] अभियन्ता से ले[illegible] अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो, तो उसके का[illegible] प्रतिबन्ध रहेगा।

Signature valid
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Designation: Commissioner
Date: 2025.04.24 08:23:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14807223

Scanned with OKEN Scanner

12. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवानिवृत के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नही कर सकेगें यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवायें लेने से पहले नहीं ली हैं, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।

13. निविदा में निविदादाताओं से अंतर राशि परफोरमेन्स सिक्यूरिटी के रूप में प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वीकृति निविदा का कार्यादेश दिया जायेगा।

14. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकारी निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

15. दरें /भाव बिना काट–छांट किये साफ प्रति इकाई के हिसाब से अंको एवं शब्दों में भरी जावे। लिखावट अस्पष्ट होने एवं कांट–छांट होने की दशा में निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

16. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ एवं संलग्न दस्तावेजों पर निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर होने अनिवार्य है।

17. टेण्डर उन्हीं व्यापरियों अथवा फर्मो द्वारा दिया जाना चाहिये जो निविदायें वांछित माल अथवा कार्यो के लिए पंजीकृत निर्माणकर्ता है अथवा अधिकृत सप्लायर या इस माल का व्यापार करते हैं।

18. शर्ते एवं सेवा के विवरण (scope of work), इत्यादि के बारे में यह मान कर चला जायेगा कि निविदादाता ने उन्हें अच्छी तरह से पढ कर समझ लिया है और अन्देशें की दशा में नगरनिगम कार्यालय से पूछताछ करके अपने समस्या का समाधान कर लिया है।

19. दिया गया कार्य संवेदक आगे दुसरे को न दे सकेगा अथवा सबलेट नहीं कर सकेगा।

20. सप्लायर द्वारा दिये गये समय में माल की सप्लाई न करने की दशा में नगर निगम द्वारा बिना कोई नोटिस दिये, सप्लायर की रिस्क पर माल खरीद किया जावेगा और आदेश निरस्त किया जावेगा। जिससे होने वाला नुकसान (damages) सप्लायर से उसके किसी भी क्लेम से जो नगर निगम से देय होगा, वसूल किया जा सकेगा। उसके बिल अथवा कोई अन्य देय राशि से वसूली न होने पर उसे कानूनी कार्यवाही द्वारा वसूल की जा सकेगी। ऐसी रिस्क परचेज में नगर निगम खरीददारी अपने विवेकानुसार करेगी। ऐसे सारे मामले जहां सप्लाई न करने से सप्लाई आदेश निरस्त किये जाने की सूरत में कान्ट्रेक्ट का भंग होना माना जावेगा और निगम ऐसी सूरत में उसी अनुसार कार्यवाही करेगी।

21. सफल टेण्डर दाता को वांछित फार्म में अनुबंध पत्र उचित स्टाम्प पेपर भर कर देना होगा और कार्य को पूरा करने के लिये प्रतिभूति राशि कुल 5 प्रतिशत नगर निगम कोष में जमा कराने होगे जो कार्य को सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण होने के दो माह वापिस लौटा दिये जावेगें। इकरारनामा भर कर दिये गये समय पर पेश न करने पर शर्तो का भंग होना माना जायेगा और धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी, निर्धारित शर्तो को भंग करने अथवा कान्ट्रेक्ट को सन्तोशजनक ढंग से परिपूर्ण न करने की दिशा में जमा अमानत राशि पूरी अथवा अंश में जब्त कर ली जावेगीं। जिसमें क्रय अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

22. नगर निगम को किसी टेण्डर की दर को मन्जूर करने या नामंजूर करने का बिना कोई कारण बताये पूरा अधिकार होगा और माल पूरा या अंश रूप में लेने का अधिकार होगा।

23. किसी भी विवाद की दशा में कानूनी कार्यवाही हेतु न्याय क्षेत्र जोधपुर शहर में होगा।

24. उपरोक्त टेण्डर की शर्तो के अलावा सप्लायर द्वारा टेण्डर में लगाई गई अन्य शर्ते सशर्त निविदा अमान्य होगी और टेण्डर अस्वीकार किया जावेगा।

Signature valid
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Designation : Commissioner
Date: 2025.04.24 08:23:57 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

25. निविदादाता को निविदा राशि की 2 प्रतिशत अमानत राशि जमा कराना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में निविदा तकनीकी रूप से मान्य नहीं होगी।

26. संवेदक को किसी भी राजकीय संस्था,विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम में ब्लैक–लिस्टेड/डी–बार अथवा डिफाल्टर घोषित नहीं किया होना चाहिए ना ही फर्म की प्रतिभूति राशि जब्त की गयी हो तथा किसी भी सरकारी विभाग द्वारा फर्म का कार्यादेश दिये जाने के बाद कार्य की शिकायत/गलत आचरण के कारण अनुबंध समाप्त नहीं किया होना चाहिए।

27. फर्म का नाम एवं पता मय टेलीफोन नम्बर, फर्म की स्थिति एकाकी/पार्टनरशिप/प्रा.लि. आदि का विवरण संलग्न करना होगा। साथ ही फर्म का पैनकार्ड नं. की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। फर्म का स्वंय का नगरीय निकाय क्षेत्र में कार्यालय स्थित होना आवश्यक है। (प्रमाण पत्र संलग्न करे)

28. फर्म का जीएसटी विभाग द्वारा जारी जीएसटी सर्टिफिकेट मय नवीनतम् जीएसटी रिटर्न प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

29. संवेदक को उपरोक्त कार्य में भाग लेने के लिए विगत तीन वित्तीय वर्ष में निविदा राशि का वार्षिक औसत न्यूनतम 50 प्रतिशत टर्न ओवर प्रतिवर्ष का होना आवश्यक होगा। इस हेतु संवेदक द्वारा सी.ए. से प्रमाणित ओडिटेड बेलेन्स शीट लगाया जाना आवश्यक होगा।

30. <u>सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि</u> : परिनिर्धारित नुकसान (Liquidated damages) के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि किए जाने के मामले में निविदादाता जिन सामानों की सप्लाई करने में असफल रहा है, उनके मूल्य के निम्नलिखित प्रतिषत के आधार पर वसूली की जाएगी।

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि के एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए –2.5%

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि के एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के विलम्ब के लिए– 5%

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के विलम्ब के लिए – 7.5%

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए –10%

<u>टिप्पणी</u> : प्रदाय करने में विलम्ब की अवधि को गिनने में दिन के अंश को यदि वह आधे दिन से कम का है तो छोड दिया जाएगा। परिनिर्धारित नुकसान की अधिकतम राशि 10% हैं।

31. प्राप्त निविदाओं को निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित बोलीदाता /संवेदक अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा। निर्धारित समय में कोई बोलीदाता/संवेदक अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने पर विभाग की गठित समिति द्वारा बिना उनका इन्तजार किए निर्धारित समय पर निविदाओं को खोला जायेगा। यदि उक्त दिनांक को राजकीय अवकाश रहता हैं तो आगामी कार्य दिवस को निविदा/बोली उसी समय पर खोली जायेगी।

32. जी एस टी के अतिरिक्त सभी प्रकार के करों को जमा करावाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। नगर निगम जोधपुर उत्तर एवं निविदादाता के मध्य निविदा एवं निविदा से संबंधित समस्त दस्तावेज हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में होगें। हिन्दी/अंग्रेजी के अतिरिक्त निविदा के सहायक दस्तावेज अन्य भाषा में होने पर इन दस्तावेजों का पूर्ण शुद्व रूपान्तरण हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में करके प्रस्तुत करने होंगें।

Signature valid
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Designation : Commissioner
Date: 2025.04.24 [illegible]8:23:57 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

33. यदि सफल निविदादाता समयावधि में अनुबंध पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा नही कराता है तो जोधपुर नगर निगम इस निविदादाता की निविदा को निरस्त कर एवं धरोहर राषि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम निविदादाता (L 2) को कार्यादेष जारी करने हेतु स्वतंत्र है।

34. समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयावधि के पश्चात् निविदा प्रस्तुत करने के लिए नगर निगम उतरदायी नहीं होगा।

35. निविदा दस्तावेज/शुद्विपत्र/संसोधन ई– प्रोक्योरमेंट /SPPP पॉर्टल से डाउनलोड नही होने पर नगर निगम उतरदायी नही है।

36. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा। इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

37. बोलीदाता/संवेदक बिन्दु निविदा/बोली के अन्त में प्रत्येक पृष्ठ/वांछित कॉलम/ स्थान पर समस्त निबन्धनो एवं शर्तो (Term &Conditions) को स्वीकार करने के प्रमाणन के रूप में नियमानुसार अपने हस्ताक्षर/डिजीटल हस्ताक्षर करेगा।

38. बोलीदाता/संवेदक अपनी निविदा/बोली या उसके किसी सारभुत भाग को ना तो किसी एंजेसी को सौप सकेगा ना ही किसी को आगे निविदा/बोली पर दे सकेगा।

39. बोलीदाता/प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार ही अनर्हता (Disqalification) होगी।

40. निविदादाता के पास स्वंय के नाम अथवा फर्म के नाम का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र होना आवश्यक हैं। सक्षम प्राधिकारी/रजिस्ट्रार से पंजीकृत संस्थाओ द्वारा ही दी गई निविदा /बोली मान्य होगी। संस्था का स्वंय के नाम अथवा फर्म के नाम से बैंक में खाता होना आवश्यक हैं।

41. निविदा/बोली किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की और से किसी एक साझेदार को अधिकृत किये जाने की स्थिति में पॉवर ऑफ अर्टोनी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हैं। निविदा/बोली स्वीकृत के बाद फर्म के संविधान में कोई परिर्वतन फर्म के पूर्व के सदस्यों/साझेदारों के इस अनुबन्ध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरीत प्रभाव नही डालेगा। इसी प्रकार जबतक इस अनुबन्ध के वहन को नया साझेदार स्वीकार नही करे तबतक फर्म में कोई साझेदार सम्मिलित नही किया जावेगा। निविदादाता कम्पनी/सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही निविदा/बोली भरी जावेगी। प्राधिकृत प्रतिनिधि की अधिकृती निविदा/बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

42. बोलीयो की विधि मान्यता की कालावधि :– बोली लगाने वालो के द्वारा प्रस्तुत बोली की कालावधि सामान्यतया नब्बे दिनों से अधिक नहीं होगी।

43. अमानत राशि दर संविदा के मामले में अमानत राशि बोली के लिये प्रस्तुत उपापन की विषयवस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी।

44. असफल बोली लगाने वालो की अमानत राशि का प्रतिदाय ,सफल बोली की अन्तिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

45. अमानत राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।

46. अमानत राशि का समपहृत :–बोली लगाने वाले से ली गई अमानत राशि निम्नलिखित मामलों मे समपहृत कर दी जायेगी,

Signature valid
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Designation : Commissioner
Date: 2025.04.24 08:23:57 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

(क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता हैं।

(ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिश्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।

(ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निश्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता हैं।

(घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिश्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता हैं।

(ड) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम ओर इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिश्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता हैं।

47. सफल बोली लगाने वाले की दशा में अमानत राशि की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती हैं यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता हैं।

48. बोली स्वीकृत अधिकारी किसी भी बोली को जो आवष्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नही हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक सेवाप्रदाता से अधिक को सेवा की मदों को स्वीकृत करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

49. बिल एंव बिल के साथ समस्त संलग्नकों पर अनुबन्धित फर्म या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के ही हस्ताक्षर मय नाम एवं मोहर अंकित होना आवष्यक है। बिल पर अनुबन्धित फर्म या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होने पर बिल पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

50. अनुबन्धित फर्म द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर अनुबन्ध की शर्तो की पालना नहीं करने या अनुबन्धित फर्म का कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में स्वीकृत अनुबन्ध निरस्त कर पूर्ण प्रतिभूति राषि को जब्त करने का पूर्ण अथवा आंषिक अधिकार आयुक्त नगर निगम जोधपुर उत्तर का होगा।

51. निविदादाता अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत /डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके, यदि कार्यस्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम जो पूर्ण पता सूचित करेगा, कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

52. यदि संवेदक कार्य के किसी भाग को निर्धारित समयावधि में सम्पन्न नहीं करता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वे निविदादाता को कोई सूचना दिये बिना इसकी जोखिम पर आपूर्ति सम्पन्न कराई जावेगी। निविदादाता इसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा किये गये जाने वाले समस्त खर्चे एवं विभाग की हानि की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा। निविदादाता के हर्जे–खर्चे एवं जोखिम पर कार्य कराते समय विभागीय प्राधिकारी नियमानुसार निर्णय लेगा।

53. निविदाकार को देय भुगतान मे से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्त्रोत पर विभाग द्वारा आयकर की कटौती की जाकर जमा करवाई जावेगा। बोलीदाता/संवेदक के आवेदन पर विभाग द्वारा आयकर कटोती का प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

Signature valid
Digitally signed by Sidharth Palanichamy
Designation : Commissioner
Date: 2025.04.24 08:23:57 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

54. विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर निगम जोधपुर उत्तर का निर्णय अंतिम होगा व बोलीदाता /संवेदक को मान्य होगा।

55. किसी भी कानूनी कार्यवाही करने से पूर्व यदि जरूरत पड़े तो दोनो पक्ष अपने प्रकरण को आरबीट्रेटर के समक्ष रखें। तत्पष्चात् समस्त कानूनी कार्यवाहियां यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवष्यकता पड़े तो संबंधित जिला न्यायालयों में ही की जानी होगी। अन्य स्थान पर नहीं होगी अर्थात समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर स्थित न्यायालय होगें।

56. **बोलियों का प्रत्याहरण प्रतिस्थापन और उपान्तरण** :– बोली लगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात् उसके या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण पत्र संलग्न हो) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित/लिखित नोटिस भेजकर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण कर सकेगा। बोली के तत्संबंधी प्रतिस्थापन या उपान्तरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिये। नोटिस–

(क) बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जाये और इसके अतिरिक्त लिफाफें पर स्पष्ट रूप से "प्रत्याहरण", "प्रतिस्थापन","उपान्तरण" अंकित हो और (ख) बोलियों को प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम समय और तारीख से पहले बोलियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डाल दिया जाये।

(1) बोलियां, जिनके प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है, बोली लगाने वाले को बिना खोले लौटा दी जायेगी।

(2) किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण बोलियां की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

57. **बोली प्रतिभूति राशि से छूट :–** जो फर्म आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार के पास पंजीकृत है उन मदों के सम्बन्ध में जिनके लिये वह उस रूप में पंजीकृत है, बोली प्रतिभूति राशि नियमानुसार जमा करानी होगी। किन्तु राजस्थान के सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम एटन्टरप्राईजेज उद्योग इकाईयो जो आयुक्त, उद्योग विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा पंजीकृत हैं। वित्त विभाग (राजस्थान सरकार)की अधिसूचना दिनांक 19 नवम्बर 2015 के अनुसार Annexure "L" के अनुरूप जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण–पत्र एंव Annexure "M"फार्म बी के अनुरूप निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर बोली प्रतिभूति राशि नियमानुसार छूट दी जा सकेगी। निर्धारित बोली प्रतिभूति/कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

58. अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी या संविदाओ के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/कार्य संपादन प्रतभूति राशि को नई बोलियों के लिए बोली प्रतिभूति साशि/कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा। तथापित, यदि बोलियों को पुनः आमंत्रित किया जाता हैं तो बोली प्रतिभूति राशि को उपयोग में लिया जा सकता हैं।

59. **करार एंव कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) :–** सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने के निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिये स्वीकार की गई है, उनके मूल्य का 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों मे से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी :–

a) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैकर्स चैक या ऑनलाईन भुगतान

b) किसी अनुसूचित बैंक की गांरटी/गांरटिया है। यह जारी करने वाली बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

Signature valid
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Designation : Commissioner
Date: 2025.04.24 18:23:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14807223

c) किसी अनुसूचित बैंक नियत जमा रसीद (एफडीआर) यह बोली लगाने वाले के खाते में आयुक्त नगर निगम जोधपुर उत्तर के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम से उन्मोचित की जायेगी। विभाग नियत जमा रसीद को स्वीकार करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगी की बोली लगाने वाला बैंक की ओर से विभाग को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति के अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी जमा नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहत कर ली जायेगी।

60. <u>राजस्थान की और बाहर की फर्मो की दरों की तुलना :–</u> उन फर्मो की बोलियों का सारणीकरण करते समय जो कीमत अधिमान की हकदार नही है, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए राजस्थान की फर्मो द्वारा कोट की गयी दरों से जी.एस.टी. का तत्व अपवर्जित कर दिया जायेगा और राजस्थान से बाहर की फर्मो की दरों की से केन्द्रीय विक्रय कर का तत्व सम्मिलित किया जावेगा।

61. <u>किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार :–</u> उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने और बोली प्रकिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्व किये जायेगें।

62. <u>अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालो के बीच परिमाणों का विभाजनः–</u> सामान्य नियम के रूप मे उपापन की विशयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेगें जिसकी बोली स्वीकार की गई है तथापि जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विशयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नही हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विशयवस्तु गम्भीर और महत्वूपर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले जिसकी बोली स्वीकार की गई है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या किसी कम में और भी बोली लगाने वालो के बीच उस बोली लगाने वाले की दरों पर जिसकी बोली स्वीकार की गई है,. ऋजु, पारदर्शी और साम्यपूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिश्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति प्रस्ताव बातचीत के समान होगी। तथापि परिमाणों के विभाजन की दषा मे जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पष्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2) तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गई दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

63. <u>कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण</u> :– प्रतिभूति की राषि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों मे समपहरण किया जा सकेगाः–

(1) जब संविदा के किन्ही निबंधनो और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(2) जब बोलीदाता/संवेदक सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा संतोशजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति को समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में केता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

64. <u>करार का निष्पादन</u> :–

Signature valid
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Designation : Commissioner
Date: 2025.04.24 08:23:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14807223

Scanned with OKEN Scanner

(1) सफल बोली लगाने वाले को निविदा/बोली स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक हैं।

(2) यदि बोली लगाने वाला जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिश्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्व अधिनियम या इन नियमों के उपबंधो के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था ऐसे मामलों में उपापन प्रकिया रद्व कर संकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेजो में उपवर्णित कसौटी और प्रकियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृत का प्रस्ताव दे सकेगी।

65. समस्त निविदा कार्य पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 तथा सामान्य वितीय एवं लेखा नियम लागू होगे।

66. Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest:- Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

67. Conflict of Interest:- The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one ormore parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bidder
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

Signature valid
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Designation : Commissioner
Date: 2025.04.24 08:23:57 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

68. Grievance Redressal during Procurement Process:-

The designation and address of the First Appellat Authority is Director, Directorate Local bodies Jaipur Raj.The designation and address of the Second Appellate Authority is Seceratory, Urban Development and Housing department Raj. .

(1) Filing an appeal:-

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved.

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal maybe filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;

(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;

Signature valid
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Designation : Commissioner
Date: 2025.04.24 08:23:57 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment offee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non- refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereofrelating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents andrelevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature valid

Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Designation : Commissioner
Date: 2025.04.24 08:23:57 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

निविदा की विशिष्ठ शर्तेः–

1. उक्त शर्तो के अनुरूप कार्य करने हेतु संलग्न वित्तिय प्रस्ताव में दरें प्रस्तुत की जावें।
2. निविदा प्रपत्र की स्व हस्ताक्षरित प्रति, माल एवं सेवाकर (GST) पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति, आयकर खाता सं.(PAN No) की प्रति एवं आवश्यक दस्तावेजों की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न करे।
3. नगर निगम कार्य दिवस में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्यालय में बिठाना जाना अनिवार्य होगा।
4. नगर निगम के लेखों/पत्रावली/वाऊचर/पत्र/रजिस्टर को नगर निगम के बाहर बिला आज्ञा ले जाना पूर्णतया वर्जित रहेगा।
5. बैठने हेतु कक्ष नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।
6. नगर निगम के लेखों की गोपनीयता/निजता पूर्ण ध्यान रखना होगा।
7. कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर कार्य समाप्ति आदेश जारी करने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकृत होंगे।
8. कार्य का बिल 03 प्रतियों में मासिक आधार पर भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
9. विपत्रों में कार्य का सत्यापन/प्रमाणीकरण संतोषप्रद पूर्व किये जाने के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
10. फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विपत्रों पर स्कॉप ऑफवर्क/कार्य आदेश अनुसार समस्त अपेक्षित कार्यो को समयबद्व/निर्धारित दिनांक तक संतोषप्रद पूर्ण किया जाने का प्रमाण –पत्र अंकित करना होगा।
11. सनदी लेखाकार (सी.ए) को माह में एक बार कार्यालय में उपस्थित होना होगा तथा ऑडिट हेतु वांछित दस्तावेज/रिकार्ड प्राप्त करने हेतु अपना कार्मिक रखना होगा।
12. नियमानुसार करों की कटौती की जायेगी।
13. किये गये कार्यो की सूचना/विवरण की सॉफ्ट/कॉपी विभाग में प्रस्तुत करनी होगी।
14. नगर निगम जोधपुर उत्तर कार्यालय के कार्यो हेतु उपयोग में लिये जा रहे पासवर्ड आई.डी. आदि मांगे जाने पर उपलब्ध कराये जाने होगे तथा कार्य अवधि समाप्ति से पूर्व इस कार्यालय को उक्त सूचनाऐं सुपुर्द की जावेगी।
15. किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व कार्यालय समय में कार्यालय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
16. नव नियुक्त सनदी लेखाकार द्वारा फाईल की जाने वाली आयकर/जीएसटी विवरणियों में संशोधन की आवश्यकता होने पर कार्य बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के करना होगा।
17. नगरनिगम जोधपुर उत्तर द्वारा प्रतिमाह कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी। जिसमें सनदी लेखाकार को उपस्थित होना होगा। मासिक रिपोर्ट के आधार पर संवेदक का कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में फर्म को डिबार घोषित किया जा सकता है।
18. सनदी लेखाकार द्वारा जीएसटी रिटर्न/आयकर रिटर्न/सूचनाएं इत्यादि सम्बंधित विभाग को निर्धारित समयावधि में नहीं भिजवाने पर 1000/– प्रतिदिन विलम्ब अवधि की शास्ति आरोपित की जायेगी एवं सम्बंधित विभाग द्वारा आरोपित शास्ति की वसूली भी फर्म के बिलों में से की जायेगी।
19. प्रिन्टर एवं सभी उपभोग्य आने वाली स्टेशनरी नगर निगम उत्तर द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी।

Signature valid
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Designation : Commissioner
Date: 2025.04.24 18:23:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14807223

Scanned with OKEN Scanner

Scope of work:-

नगर निगम जोधपुर उत्तर में सॉफ्टवेयर के इम्प्लीमेंटेशन का कार्य तथा नगर निगम जोधपुर उत्तर की आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करना और कस्टमाइज रिपोर्ट तैयार करना, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लेखो का दोहरा लेखा प्रणाली का NMAM कोडिंग के अनुसार संचालन, सॉफ्टवेयर से कस्टमाइज मल्टीपल कॉलम कैशबुक और बैंकबुक हिन्दी भाषा में तैयार करना,सॉफ्टवेयर से डीएलबी अनुमोदित फॉरमेट में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनो भाषा में बजट तैयार करना,सॉफ्टवेयर में NMAM कोडिंग व फण्ड के अनुसार (कॉस्ट सेंटर) लेखा कार्यकरवाना,बैंक रिकन्सीलेसन सम्बन्धी कार्य,सॉफ्टवेयर में अंतिम लेखे तैयार करवाना, सिटीफाइनेंस पोर्टल पर प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाये सॉफ्टवेयर से तैयार करवाना,उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी)तैयार करवाना,सॉफ्टवेयर से हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषा में आय व्यय तैयार करवाना, सॉफ्टवेयर से डीएलबी डाटा बेस सम्बन्धी सूचनाये तैयार करवाना,डीएलबी द्वारा मांगी गयी वित्तीय सूचनाये तैयार करवाना, डेबुक,लेजर बुक इत्यादि तैयार करवाना व अन्य सम्बंधित कार्य ।

1. नगरनिगम जोधपुर उत्तर कार्यालय के संधारित रिकार्ड के आधार पर अन्तिम लेखो को कंप्यूट्रीकृत करना (रोकड़बही व अन्य लेखे) वार्षिक Balance Sheet तथा अन्य तत्संबंधी लेखे तैयार करना एवं Tally Data Inplementation सम्बन्धित कार्य।
2. निगम की आवश्यकतानुसार मासिक/त्रैमासिक लेखे तैयार कर उपलब्ध कराना।
3. बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट वित्तीय वर्ष 2024–25 प्रतिबैंक /प्रति माह तैयार करना।
4. राज्य सरकार/भारत सरकार के विविध अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत निगम के विभिन्न कार्यो में, जहां पंजीकरण/अन्य कार्यो हेतु विभिन्न प्रमाणित दस्तावेज दाखिल किये जाने की नियमान्तर्गत आवश्यकता है, ऐसे समस्त, दस्तावेज सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारी स्तर पर प्रस्तुत किया जाना।
5. आयकर विभाग में त्रैमासिक /वार्षिक TDS रिटर्न 24Q का ऑनलाइन फाइलिंग कार्य। (सभी कर्मचारियों हेतु)
6. कर्मचारियों का वार्षिक आय प्रमाणपत्र फॉर्म 16 (A+B) जारी करने का कार्य जो की आयकर विभाग द्वारा (Traces) के अन्तर्गत होना चाहिए। (सभी कर्मचारियों हेतु)
7. आयकर विभाग में त्रैमासिक /वार्षिक TDS रिटर्न 26Q का ऑनलाइन फाइलिंग कार्य । (संवेदकों के लिए)
8. गैर कर्मचारियों (संवेदकों) का त्रैमासिक TDS प्रमाणपत्र फॉर्म 16A जारी करने का कार्य जो की आयकर विभाग द्वारा (Traces) के अन्तर्गत होना चाहिए। (संवेदकों के लिए)
9. नगरनिगम जोधपुर उत्तर कार्यालय में 24Q एवं 26 Q के प्रति आने वाली डिमांड का प्रतित्युत्तर देना और डिमांड शून्य करवाने का कार्य।
10. आयकर/जी.एस.टी. एवं अन्य नियमों/ मामलों पर नियमान्तर्गत राय/मार्गदर्शन प्रदान करना।
11. वैधानिक दायित्वों की पूर्ति हेत निगम द्वारा निर्देशित अन्य कार्य।

Signature valid
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Designation : Commissioner
Date: 2025.04.24 08:23:57 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

12. प्रत्येक दिवस में होने वाले व्यवहारों का लेखा कर Ledger तैयार करना एवं मासिक Trail Balance बनाना।
13. फर्म को दोहरा लेखा प्रणाली को संचालित करना होगा तथा डाटा फीडिंग के पश्चात सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट निकालकर देनी होगी तथा निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय राजस्थान/ शासन द्वारा मांगी गयी लेखांकन सम्बंधित सूचनाएं तैयार करके उपलब्ध करवानी होगी जिसका कोई मानदेय भत्ता पृथक से देय नहीं होगा , स्वयं फर्म को वहन करना होगा।
14. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क और धरोहर राशि निकाय में रसीद कटवाकर/डिमांड ड्राफ्ट बनाकर जमा करवाए तथा रसीद/डिमांड ड्राफ्ट कोनिविदा के साथ सलंग्न करना अनिवार्य हैं।

Signature valid

Digitally signed by Sidharth Palanichamy
Designation : Commissioner
Date: 2025.04.24 08:23:57 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर(उत्तर)

संवेदक की पात्रता:–

1. निविदा शुल्क, ई–निविदा प्रकिया शुल्क एवं अमानत राशि का भुगतान करना अनिवार्य है। जिसकी जमा की रसीद की प्रति।
2. निविदादाता फर्म का GSTIN पंजीयन होना आवश्यक है।
3. निविदादाता फर्म के मालिक/फर्म का PAN CARD होना आवश्यक है।
4. फर्म कम से कम दस वर्ष पुरानी होनी चाहिए।
5. फर्म को पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2021–22, 2022–23,2023–24) में कम से कम 5 स्वायत्तशासी संस्था यथा–नगरनिगम/नगरपरिषद/नगरपालिका में सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन का अनुभव होना चाहिए जिसमे से कम से कम तीन कार्यादेश की राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 5 लाख रूपए या ज्यादा होनी चाहिए (सलंग्न कार्यानुभव प्रमाण पत्र एवं कार्यादेश।)
6. सॉफ्टवेयर फर्म के पास अनुभवी सीए होना चाहिए जिसको इस प्रकार के सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन का अनुभव होना चाहिए। (संलग्न आईसीएआई मेंबर कार्ड)
7. संवेदक फर्म का कार्यालय जोधपुर में होना अनिवार्य हैं।
8. फर्म टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की सर्टिफाइड पार्टनर होनी चाहिए।
9. टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से OEM (Original Equipment Manufacturer) ऑथराइजेशन लेटर संलग्न किया जाएगा। (ऑथराइजेशन लेटर टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किया जाना चाहिए)
10. संवेदक वितिय रुप से सक्षम होना चाहिये। गत तीन वित्तीय वर्षो (2021–22, 2022–23, 2023–24) का औसत न्यूनतम टर्न ओवर 5.00 लाख रूपये होना चाहिये। संलग्न –ऑडिटेड बैलेंस शीट व लाभ हानि खाता यूडीआईएन के साथ या CA Certified Turnover Certificate with UDIN) ANNEXURE - 2
11. निविदादाता किसी भी स्वायत्तशासी संस्था/निगम/सरकारी कार्यालय से ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिये।
12. ICAI द्वारा जारी चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
13. संयुक्त उद्यम का अनुबन्ध तथा मुख्य बोलीदाता का अधिकार पत्र (यदि लागू हो तो) की स्व हस्ताक्षरित प्रतिया।
14. RTPP ACT 2012 के सेक्सन 7 – 11 के अनुसार घोषणा पत्र की स्केन प्रति।
15. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर व सील लगाकर निविदा प्रपत्र की प्रति।

O.S. AAO-

Signature valid
Digitally signed by Sidharth Palanichamy
Designation : Commissioner
Date: 2025.04.24 08:23:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14807223

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर (उत्तर)

वित्तिय प्रस्ताव

कसं.	दस्तावेज	इकाई	प्रस्तुत दर (रूपये में)
1.	टेली सॉफ्टवेयर एण्ड इम्प्लीमेंटेशन	एक मुश्त	अंको में..
			शब्दों में..
2.	लेखाप्रणाली से सम्बन्धित कार्य का संचालन, बैक रिकसिलेशन संबंधी कार्य रिटर्न,माल एंव सेवा कर ,पुराना सेवाकर, वैट, व अन्य आयकर संबधी कार्य	प्रति माह	अंको में..
			शब्दों में..

नोट– दरें जी.एस.टी. एवं सभी करों सहित देनी होगी।

Signature valid
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Designation : Commissioner
Date: 2025.04.24 18:23:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14807223

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE - 2

Turnover Certificate

To Whom it may Concern

Thisistocertifythat we have verified turnover from GSTReturns, ITR Form and CA Certified Financial StatementsofM/s (Firm Name…………………………) having principal Place of business at (Address ……………………………………………) during the financial years 2021-22, 2022-23 and 2023-24 is asbelow:

S.No	Financial Year	Turnover (In Rupees)
1	2021-22	
2	2022-23	
3	2023-24	
Average Annual Turnover (1+2+3)/3		

This is further certified that the above Turnover is in line with the Turnover declared by the Firm in their Income Tax Returns filed under PANNo: …………

Chartered Accountants Firm Name ……………………………………
Firm Reg No. ………………………………………………………………

Chartered Accountant Name …………………………………………………
Designation (Partner/Proprietor) ………………………………………
Membership No. ……………………………………………………………

Place: ……………
Date: ……………
UDIN ……………

Seal & Signature

Signature valid
Digitally signed by Sidharth Palanichamy
Designation : Commissioner
Date: 2025.04.24 08:23:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14807223

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट – 'ब'

:: शपथ–पत्र ::

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियां सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा धरोहर राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा धरोहर राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैनें/हमने निविदा प्रपत्र तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते है कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नही होगा तथा अगर मैंने/हमनें (1) अपनी निविदा दर की वैद्यता 90 दिवस से कम समय के लिये प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नही की (3) आदेशित कार्य समय पर आपूर्ति नहीं किया (4) निविदा प्रपत्र के व नगर निगम के आदेश/निर्देशों की पालना नही की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

सामग्री से सम्बन्धित सभी व्यय मैं/हमारे द्वारा वहन किये जायेंगें।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम के द्वारा आवश्यकता होने पर सामग्री की संख्या बढाई जाने पर उसी दर पर आवश्यकतानुसार आपूर्ति कर देंगे।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि सामग्री संतोषजनक रूप से आपूर्ति होने के पश्चात् मांग करने पर सिक्योरिटी डिपोजिट बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तों, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य हैं तथा सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश को निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नही किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हमारी फर्म किसी भी सरकारी विभाग में भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हमारी फर्म का किसी भी सरकारी विभाग में कभी भी प्रतिभूति राशि जब्त नहीं हुई है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हमारी फर्म का किसी भी सरकारी विभाग में कभी भी कार्यादेश जारी किये जाने के पश्चात शिकायत/गलत आचरण के कारण अनुबंध अवधि समाप्त नहीं की गयी है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैं/हमारा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर उत्तर में कार्यरत नहीं है।

दिनांक : ....

निविदादाता का नाम
हस्ताक्षर मय सील

Signature valid
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Designation : Commissioner
Date: 2025.04.24 18:23:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14807223

Scanned with OKEN Scanner

Jodhpur Municipal Corporation North

Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act

Declaration by the Bidder/ JV

In relation to our Bid submitted to .... *[Enter designation and address of the procuring entity]* for procurement of .... *[Insert name of the Works]* in response to their Notice Inviting Bids No.................. Dated .... We hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;
3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;
6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date:

Place:

Signature of Bidder
Name:
Designation:
Address:

Signature valid
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Designation : Commissioner
Date: 2025.04.24 18:23:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14807223

Scanned with OKEN Scanner